महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

NAAC Accreditation- "A" Grade

ज्ञान शांति मैत्री

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

Prof. Krishna Kumar Singh

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 005/2018/DA&R/01/614

दिनांक : 08.08.2019

कार्यालय आदेश

अकादमिक गतिविधियों के ढांचें में, सीबीसीएस सहित आवश्यक संशोधन हेतु व्यवस्थागत सुझावों के लिए गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में वर्तमान में चल रहे **'आधार भाषा'** एवं **'अनिवार्य कम्प्यूटर'** के पाठ्यक्रम को **बंद किया जाता है** और उसके **स्थान पर चार-चार क्रेडिट** के **'कम्प्यूटर-अनुप्रयोग में दक्षता' तथा 'हिंदी भाषा में दक्षता' पाठ्यक्रम चलाने का निर्णय लिया जाता है**। पहले सेमेस्टर में 'कम्प्यूटर-अनुप्रयोग में दक्षता' और दूसरे सेमेस्टर में 'हिंदी भाषा में दक्षता' का पाठ्यक्रम चलाये जाने और इनकी परीक्षा कराये जाने का निर्णय लिया जाता है। इनके प्राप्तांक **मार्कशीट/ग्रेड कार्ड में दर्ज होंगे** परंतु **सीजीपीए में परिगणित नहीं** किये जाएंगे। विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों/शोधार्थियों के लिए इसे न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके बिना संबंधित उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

9/08/19

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रतिलिपि : *सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।*

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी ।
4. परीक्षा विभाग।
5. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
6. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)।
7. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. कार्यालय प्रति।

पोस्ट– हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र), भारत

P.O.- Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), India

वेब साईट/Website : www.hindivishwa.org